न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ0 ओमप्रकाश बैरवा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

रण संख्या 90 / 2007
ष्टि दिनांक 14.03.2007

मति विश्व ज्योति पुत्री रावराजा राजेन्द्र सिंह पत्नि भानुप्रताप सिंह निवासी उनियारा ग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, तीनमूर्ति, जयपुर जिला जयपुर (राज०)

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, जिला टोंक
2. श्रीमति कमला देवी विधवा स्व0 रतन कुमार जैन काला निवासी मुनीर खां की मस्जिद नोशे मियां का पुल टोक (मृतक)
3. विमल कुमार जैन काला पुत्र स्व. रतन कुमार जैन निवासी 54 शास्त्री नगर टोंक
4. कैलाश चन्द जैन पुत्र स्व. रतन कुमार जैन काला निवासी मुनीर खां की मस्जिद के पास नोशे मियां का पुल टोक
5. रमेशचन्द पुत्र स्व. रतन कुमार जैन काला निवासी मुनीर खां की मस्जिद के पास नोशे मियां का पुल टोक
6. नीतेश कुमार पुत्र रतन कुमार जैन काला निवासी मुनीर खां की मस्जिद के पास नोशे मियां का पुल टोक
7. रामगोपाल पुत्र कालू जाति शर्मा निवासी ग्राम लाम्बा तहसील टोंक
8. बद्री पुत्र रामनिवास जाति शर्मा निवासी लाम्बा तहसील टोंक
9. बृजमोहन पुत्र रामनिवास जाति शर्मा ब्राहमण निवासी लाम्बा तहसील टोंक

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 23{1} राजस्थान काश्तकारी सिलिंग अधिनियम 1973 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, टोक प्रकरण संख्या 36 / 95(64 / 04) निर्णय दिंनाक 08.02.2007

उपस्थिति –(1) श्री तेजमल जैन, अभिभाषक अपीलांट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक, रेस्पो. सं. 1
(3) श्री जितेन्द्र जैन, अभिभाषक रेस्पो. संख्या 3 ता. 6
(4) श्री शंकर लाल चौधरी, अभिभाषक रेस्पो. संख्या 7 ता. 9

दिनांक 04.01.2024

निर्णय

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी टोक द्वारा सिलिंग अधिनियम 1973 की धारा 11(1) के अन्तर्गत नोटिस जारी कर प्रार्थी अपीलांट को ग्राम निमोला तहसील टोक की 48 बीघा 16 बिस्वा ग्राम लाम्बा तहसील टोक की 415 बीघा 18 बिस्वा भूमि के बारे में घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने का आदेश जारी किया, जिस पर कुल दोनो गावो की भूमि 464 बीघा 14 बिस्वा स्व. सुशीला कुमारी पत्नि राजेन्द्र सिंह के खाते में दर्ज होना बताया और यह कथन किया कि उक्त भूमि सिलिंग सीमा से अधिक

जिला कलेक्टर
टोंक

है। इस पर अपीलांट रावराजा राजेन्द्र सिंह की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि विवादित भूमि के बाबत् सन् 1975 में ही उपखण्ड अधिकारी टोक व उपखण्ड अधिकारी सांगानेर द्वारा सिलिंग सीमा 1977 के तहत निर्णय किया जा चुका है और अब मजीद रूप से कोई कार्यवाही करना शेष नही है, जो रिपोर्ट तहसीलदार टोक ने उक्त गावो की भूमि के बाबत् पेश की है वह खातेदार सुशीला कवर ने सिलिंग कानून आने के समय घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिया था, जिसका निर्णय दिनाक 28.08.1975 को हो चुका है, इसलिए उसी भूमि का अब पुनः निर्धारण करना कानूनन गलत है। सुशीला कवर की मृत्यु दिनाक 15.07.1998 को हो चुकी है। इसके बाद उक्त भूमि रावराजा राजेन्द्रसिंह, दलपत सिंह, विश्वज्योति के नाम विरासत का दाखिल खारिज संख्या 663 दिनांक 03.09. 1998 को तहरीर होकर उक्त भूमि इनकी खातेदारी में दर्ज हो चुकी है तथा पूर्व में पुराने कानून के तहत नियमानुसार कार्यवाही ड्रॉप कर दी गई थी, लेकिन तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी ने उक्त प्रकरण में सिलिंग सीमा से अधिक भूमि मानकर आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा जिला कलेक्टर टोंक के यहां अपील कर दी जिसे जिला कलेक्टर टोंक द्वारा दिनाक 23.03.2004 को अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। इस पर उपखण्ड अधिकारी टोक ने अवैध रूप से 464 बीघा 14 बिस्वा भूमि को अधिग्रहण करने का आदेश दिनाक 08.02.2007 को पारित कर दिया, उक्त भूमि में 346 बीघा भूमि गै. मु. तालाब नाले – नाली आदि थे। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पेश की गई है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पो. जरिये सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट व राजकीय अभिभाषक तथा अभिभाषक रेस्पो. 3 ता. 6 की बहस सुनी गई।

अपीलांट में से अपीलांट रावराजा राजेन्द्रसिंह की मृत्यु हो चुकी है, उनके वारिसान विश्वज्योति एवं दलपत सिंह है। यह स्वीकृत तथ्य है कि स्व. सुशीला कंवर जो रावराजा राजेन्द्रसिंह की पत्नी थी और विवादित भूमि उन्ही की खातेदारी में थी जो उनकी मृत्यु के बाद राजेन्द्र सिंह, दलपत सिंह एंव विश्वज्योति की खातेदारी में विरासत के आधार पर दर्ज हुई, राजेन्द्र सिंह की भी मृत्यु हो चुकी है।

अपीलांट ने अपनी लिखित बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया है कि खाता संख्या 326 की 48 बीघा 16 बिस्वा भूमि वाके ग्राम निमोला तहसील टोक तथा खाता संख्या 106 की भूमि 415 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम लाम्बा तहसील टोंक की भूमि के बाबत् वर्ष 1975 में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी टोंक व सांगानेर द्वारा निर्णय किया जा चुका है तथा इस सम्बन्ध में अब और कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। तहसीलदार टोक ने जो रिपोर्ट वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत की है, जिसका निर्णय पूर्व में दिनाक 28.08.1975 को हो चुका है, इसलिए सुशीला कवंर की उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई पुनः निर्णय किया जाना अपेक्षित नहीं है। सुशीला कंवर के विरुद्ध वाले सिलिंग प्रकरण का निर्णय पुराने सिलिंग कानून के तहत किया जाकर कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है। उक्त दोनो गांव लाम्बा व निमोला ठिकाना उनियारा की जागीर के गांव थे इसलिए संवत 2012 में जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम के तहत जागीर रिज्यूम कर ली गई थी और जागीर रिज्यूम का हवाला भी दिया गया था, किन्तु उपखण्ड अधिकारी टोक ने जागीर अधिनियम के प्रावधानो के तहत उक्त भूमि को अधिग्रहण से मुक्त नहीं कर अपीलांट के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया जो विधि सम्मत नही है।

जिला कलेक्टर
टोंक

कुल 464 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से 346 बीघा भूमि गै. मु. तालाब नाला नाली आदि है, जिनकी गणना सिंलिंग अधिनियम के तहत किये जाने योग्य नहीं है। अर्थात सिलिंग से मुक्त है, इसलिए उक्त भूमि सिलिंग से मुक्त की जानी चाहिये।

राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में निवेदन किया है कि तहसील सांगानेर स्थित भूमि के निर्णय से टोक तहसील स्थित भूमि का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए उक्त निर्णय का कोई असर इस प्रकरण पर नहीं है। इसका प्रतिउत्तर अपीलांट की ओर से दिया जाकर मौखिक कथन किया कि निर्णय टोंक तहसील स्थित भूमि के सम्बन्ध में भी किया गया है तथा दोनो ही तहसीलों में स्थित भूमि सुशीला कंवर की खातेदारी की है, इसलिए प्रस्तुत प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नही है। अपीलांट की ओर से अपनी बहस के समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें प्रस्तुत की गई है, जबकि सरकार की और से कोई कानूनी नजीर प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों का विवरण इस प्रकार है–

1995 आर आर डी पेज संख्या 115
2007 आर आर टी (1) पेज संख्या 1
2005 डब्ल्यू एल सी (3) पेज संख्या 688
1988 आर आर डी पेज संख्या 111
1989 आर आर डी पेज संख्या 121
2003(1) आर आर टी पेज संख्या 411
1986 आर आर डी पेज संख्या 14

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक तथा अभिभाषक रेस्पो. सं. 3 ता. 6 की मौखिक एवं लिखित बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों का समग्र रूप से विवेचन व विश्लेषण किया तथा समग्र दृष्टि से अवलोकन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोक ने जिस भूमि के सम्बन्ध में पुराने सिलिंग कानून के तहत निर्णय किया जा चुका था और कार्यवाही ड्राप की जा चुकी थी, के सम्बन्ध में पुनः अधिग्रहण का आदेश पारित कर भंयकर त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनाक 08.02.2007 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 ओमप्रकाश बैरवा)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक